प्रकरण संख्या 7/2023 डालू व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोरचा, तहसील कुम्भलगढ़ में आराजी नंबर 837, 1521, 1910 से 1920, 3055 से 3058, 3069 से 3074, 3087, 3242, 3243, 3292, 3654 से 3656, 3660 से 3662 कुल किता 33 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष देवा जी थे, जिनके दो पुत्र परताब व खेमा हुए। खेमा का वारिस प्रार्थी है तथा परताब के वारिस विपक्षीगण हैं। इस प्रकार विवादित आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा होकर राजस्व रेकार्ड में अंकित है। पिछले कुछ समय से प्रार्थी व विपक्षीगण में मनमुटाव होने से संयुक्त रूप से काश्त करने में परेशानी हो रही है तथा विपक्षीगण लड़ाई झगड़ा करते हैं। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.07.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01.05.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानसिंह उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एल. लढ्ढा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी। दिनांक 17.04.2023 को नकल प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRT 2005 (2) Page 839 प्रस्तुत की। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर [illegible] पत्रावली का अवलोकन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested

किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि लोक अदालत में उन्हीं मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया हो, किन्तु वर्तमान प्रकरण में कोई राजीनामा नहीं हुआ है, किन्तु अपीलान्ट की अनुपस्थिति में 8 पक्षकारों में से मात्र 5 पक्षकारों के खाली प्रोसिडिंग पर कैम्प में उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर करवाकर निर्णय पारित कर दिया गया है, जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट संख्या 1 बीमार रहता है तथा अपीलान्ट संख्या 2 हैण्डीकेप्ट है, जिन्हें बिना सूचना दिये एवं बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1997 Page 591, RRD 2018 Page 565, RRD 1999 Page 327, AIR 2010 Jharkhand (HC) Page 100, AIR 2016 Chhattisgarh (HC) Page 66 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 पेमा विवादित आराजियात का सहखातेदार दर्ज है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक सहखातेदार को अपनी सहखातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग का पूर्ण अधिकार है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 26/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 7/2023 डालू व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested